(512) (116)

नमा प्र० निग० - 2880/2012 रीवा / स्था०

341

समक्ष - राजस्व मण्डल ग्वालियर, म॰प्र॰ कैम्प रीवा जिला रीवा म॰प्र॰

छोटेलाल सिंह पिता रामकुमार सिंह, निवासी ग्राम सोनवर्षा, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म॰प्र॰) -- आवेदक

R.2880-II/12

बनाम

1- किशाम तनय देवनारायण निवासी ग्राम सोनवर्षा तहसील मऊगंज, जिला रीवा म॰प्र॰

2- शासन म॰प्र॰ ---- अनावेदक गण

अधिवक्ता श्री ... चौरसिया द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि० 21.8.2012

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्री मान तहसीलदार वृत्त हाक तहसील त्योंथर, जिला रीवा के प्रकरण क्र0 42अ/12/2001-12, आदेश दिनांक 2.7.12,

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰ 1959 ई0।

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यह कि आराजी नं0 279/2 स्थित ग्राम मेहेबा तहसील त्योंथर जिला रीवा म॰प्र॰, आवेदक के पट्टे कब्जे की आराजी है, उक्त आराजी से लगी हुई आ0 नं0 267/4, एवं 267/5 मौजा मेहेबा तहसील त्योंथर की आराजी अनावेदक के स्वामित्व की है, चूंकि ये आवेदक व अनावेदक की भूमियां आपस में लगी हुई है, और आवेदक छोटेलाल सरहददी काश्तकार है, जिसे बगैर कोई सूचना दिये तथा बिना किसी सीमा चिन्ह को आधार मानते हुए अनावेदक किशाम सिंह द्वारा अपनी आराजी नं॰ 267/4 व 267/5 का सीमांकन की कार्यवाही की गई तथा आनन, फानन में दिनांक 1.7.12 को सूचना जारी हुई, दिनांक 1.7.12 को ही स्थल पंचनामा बनाया गया है, और दिनांक 1.7.12 को पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, और दिनांक 2.7.12 को उक्त सीमांकन की पुष्टिकर दी गई जिससे

116

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

[illegible]ण. क्रमांक R2880-II /12   जिला—रीवा

छोटेलाल सिंह/ विश्राम सोनवर्षा

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त चाक, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 42/ए 12/2001—02 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	